

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांक प 1(10)बैठक/न्याय /13/380

जयपुर दिनांक १-१-15

परिपत्र

OICs के स्थानान्तरण के दौरान चार्ज हस्तान्तरण रिपोर्ट में अभी Court-Cases के बारे में कुछ भी अंकित नहीं किया जाता है। फलस्वरूप नवीन पदस्थापित अधिकारीगण को Court-Cases के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है। अतः LPC जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया जावे कि न्यायिक प्रकरणों से सम्बन्धित Record का आदान-प्रदान कर दिया गया है। न्यायिक प्रकरणों के हस्तान्तरण चार्ज-रिपोर्ट में इस बाबत कि इतने कोर्ट केसेज जो कि पत्रावलियां अपडेट करके सम्भला दी हैं और LITES पर दर्ज कर दी गई हैं, का उल्लेख कर दिया जावे

न्याय विभाग के कार्य को और गति देने के लिए Distt. Level पर भी बैठक कराई जावे, ताकि जिला स्तरीय न्यायिक प्रकरणों के OICs अपने दायित्व का निर्वहन सही समय पर समुचित ढंग से कर सकें तथा सम्बन्धित को शीघ्र ही न्याय मिल सके और राज्य का श्रम एवं व्यय भी बचाया जा सकें।

समस्त State level Nodal officers ने अपने-अपने विभाग के District level (Department Wise) Nodal officers की Meeting कब-कब ली और मुख्यतः क्या-क्या निष्कर्ष रहे और आगामी क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? यह Report दिनांक 24.09.2015 तक Excel-Sheet पर LITES की Site पर Upload करवाने की व्यवस्था करावें।



प्रमुख शासन सचिव

All ACS/Pr.Secy/Secy

.....

HODs/ Nodal officer/ Distt.Nodal.officer